

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट/आईडी-987

जयपुर,दिनांक:- 30/5/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इस विभाग द्वारा पीजी करने वाले चिकित्सको को पूर्व में स्वीकृत किये गये अध्ययन अवकाश में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को इस विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति में संशोधन करते हुए निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स.	चिकित्सक का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवधि
1	डॉ पंकज मंगल	जयपुर	मेडिसिन	02.06.17 से 01.06.20
2	डॉ गोविन्द कुमार शर्मा	अजमेर	पैथोलोजी	27.05.17 से 26.05.20
3	डॉ योगेन्द्र सिंह शेखावत	जयपुर	शिशु औषध	27.05.17 से 26.05.19
4	डॉ बनवारी लाल कुमावत	जयपुर	रेडियाडायगनासिस	27.05.17 से 26.05.19
5	डॉ मौहम्मद मोहसिन	जयपुर	मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
6	डॉ भगवती लाल कुम्हार	जयपुर	वक्ष एवं क्षय रोग	02.06.17 से 01.06.20
7	डॉ राकेश चौधरी	जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.20
8	डॉ गुलाब सिंह	जोधपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.20
9	डॉ कुशांक शर्मा	अजमेर	निश्चेतन	27.05.17 से 26.05.20
10	डॉ सुमित्रा सिंह गुर्जर	जयपुर	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.19
11	डॉ अवनीश	अजमेर	नेत्र रोग	27.05.17 से 26.05.20

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/राजपत्रित/पीजी/2017/581 दिनांक : 01 / 06 / 18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर एवं जोधपुर।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सामुदायिक/प्रा0स्वा0केन्द्र।
8. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
10. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।